

लीलाधर सारणी
षष्ठम अतिरिक्त जिला न्यायाधीश,
रायपुर. (छ.ग.)

न्यायालय:-षष्ठम अतिरिक्त जिला न्यायाधीश, रायपुर (छ0ग0)

कमांक / क्यू / न्याया0 / 2018
प्रति,

रायपुर, दिनांक-05.10.2018

माननीय जिला एवं सत्र न्यायाधीश,
रायपुर (छ0ग0)

विषय :- प्रकरणों की विशेष सूची तैयार किये जाने बाबत।

संदर्भ :- कार्यालय पृ0कमांक....क..../दो-12-5-2009 रायपुर, दिनांक 01.09.2017

- - 00 - -

उपरोक्त विषयांतर्गत लेख है कि संदर्भित पत्र के परिपालन में इस न्यायालय के समक्ष दस वर्षों से अधिक समय से लंबित दावा प्रकरणों की विशेष सूची तैयार की गयी है जिन्हें दिन-प्रतिदिन साक्ष्य हेतु नियत किया जावेगा, जब तक उभयपक्ष का साक्ष्य न हो जावे। इस विशेष सूची में उल्लेखित प्रकरणों में बाध्यकारी कारणों के अलावा स्थगन पूर्ण किया जाकर प्रकरण का अंतिम निराकरण किया जावेगा।

तदनुसार अस्थायी विशेष प्रकरण सूची प्रकरण के त्वरित निराकरण हेतु आपके अवलोकनार्थ सादर प्रेषित है।

विशेष सूची (अस्थायी)

क.	दावा प्रकरण कमांक	पक्षकार का नाम	आवेदक अधिवक्ता का नाम	अनावेदक अधिवक्ता का नाम	संस्थित दिनांक	पेशी दिनांक	वर्तमान स्थिति
1.	323 / 17	श्रीमती बसंती विरुद्ध लिबर्टी विडियोकान जनरल इंश्योरेंस कं0लि0	श्री के0एल0 देवांगन	श्री पी0आर0 साहू	15.05.17	08.10.18	अनावेदक के शेष साक्ष्य हेतु
2.	808 / 17	श्रीमती विट्टल अमृतकर व अन्य विरुद्ध लुकश कुमार कुजूर व अन्य	श्री तोलेन्द्र बघमार	1. श्री डोमार यादव 2. श्री एस0के0महोबिया 3. श्री प्रदीप चौरा	13.12.17	10.10.18	अनावेदक कमांक-3 के साक्ष्य हेतु

रायपुर (छ.ग.)
दिनांक 05 / 10 / 2018

लीलाधर सारणी
षष्ठम अतिरिक्त जिला न्यायाधीश,
रायपुर. (छ.ग.)
रायपुर, दिनांक-05.10.2018

पृ0कमांक / क्यू / न्याया0 / 2018

प्रतिलिपि :-

1. अध्यक्ष, अधिवक्ता संघ, संबंधित अधिवक्ता को सूचित करने तथा आवश्यकता होने पर अभ्यावेदन प्रस्तुत करने हेतु।
2. प्रस्तुतकार, काजलिस्ट बोर्ड में चरपा किये जाने हेतु।
3. कम्प्यूटर शाखा, जिला न्यायालय के वेबसाईट में उपलब्ध कराये जाने हेतु।

कमशः ...2.....

नोट:- माननीय उच्च न्यायालय के आदेश के परिपालन में इस न्यायालय के समक्ष पांच एवं दस वर्षों से अधिक समय से लंबित दावा प्रकरणों की विशेष सूची तैयार की गयी है, उक्त प्रकरणों में अंतिम निराकरण तक कोई स्थगन प्रदाय नहीं किया जावेगा और इस सूची के प्रकरणों को दिन-प्रतिदिन उभयपक्ष के साक्ष्य हेतु निरंतर तब तक नियत किया जावेगा, जब तक उभय पक्ष का साक्ष्य पूर्ण हो जावे व प्रकरण अंतिम रूप से सुना जाकर निराकृत किया जावे। सूची में दर्शाये प्रकरणों से संबंधित पक्षकार के अधिवक्तागण यदि कोई अभ्यावेदन प्रस्तुत करना चाहते हो तो दिनांक 08.10.2018 तक प्रस्तुत कर सकते हैं।

(लीलाधर सारथी)

षष्ठम अतिरिक्त उजला न्यायाधीश,

षष्ठम अतिरिक्त उजला न्यायाधीश,

रायपुर. (छ.ग.)



न्यायालय

रायपुर (छ.ग.)

दिनांक